न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 35/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— ओम प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी चक 10 केवाईडी थाना खाजूवाला जिला बीकानेर।

————अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट।

————रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थितः— श्री सुनील भाटी — अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :— श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 25.06.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 01.06.2011, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 55/93 डीएम बीकानेर पर शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 5022 दर्ज है तथा दिनांक 30.6.09 तक नवीनीकृत है । उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष दिनांक 24.6.09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 326 दिनांक 4.5.10 में आवेदक के विरूद्ध मुकदमा संख्या 86/91 अन्तर्गत धारा 430, 353, 504, 341, 34 भादंसं में दर्ज होकर अदालत में चालान पेश हुआ, माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. नं. 2, बीकानेर द्वारा फैसला दिनांक 26.10.96 में अपीलांट को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में मुकदमे से सम्बन्धित तथ्य को छुपाया जाने का उल्लेख करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 55/93 के नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2011 पारित कर अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अपील मीमो का अवलोकन कर राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट ने दिनांक 24.6.2009 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन किया, जिस पर पुलिस थाना खाजूवाला से भौतिक सत्यापन करवा कर रिपोर्ट सं. 2877 दिनांक 20.06.2009 को प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से जो रिपोर्ट दिनांक में 4.5.10 प्राप्त की गयी, उसमें उल्लेखित मुकदमा सं0 86/91 शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि से पूर्व का है। अपीलांट की जायदाद खाजूवाला तहसील में स्थित है, जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण वर्ष 1993 से लगातार होता रहा है। शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) सी के तहत अपीलांट का प्रकरण नहीं आता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र संलग्न शपथ पत्र में कोई तात्विक बात छुपाई नहीं गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 4.5.10 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा सं0 86/91 दर्ज हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.96 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में मुकदमा से सम्बन्धित तथ्यों को छुपाया गया है । जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में उल्लेखित मुकदमा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व का है, जिसमें अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार जिला पुलिस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीक्षक, बीकानेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 4.5.10 में आवेदक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा सं0 86/91 अन्तर्गत धारा 430, 353, 504, 341, 34 आईपीसी दर्ज होकर चालान पेश अदालत हुआ तथा न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.96 द्वारा दोषमुक्त किया गया है । रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में मुकदमा से सम्बन्धित तथ्यों को छुपाया गया है, जबकि आवेदक के विरुध्द अभियोग सं0 86/91 दर्ज होकर चालान पेश हुआ था तथा वर्ष 1996 में निर्णीत हुआ था, जिसमें अपीलांट को केवल संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। ऐसी सूरत में जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है, जो कि उचित प्रतीत होता है। राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने भी जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का उचित बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(सी) अनुसार अनुज्ञप्ति के लिए आवंदन करने के समय अनुज्ञप्ति धारक द्वारा गलत जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त की गयी थी । उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रकरण में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2011 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर